कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 54 / 2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री नरसिंह पुत्र श्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड नं0 06 फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।(राज.)

——अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ।

——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—31.10.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढके संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 17.8.2019 द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ सूचना उपलब्ध नही करवाने के कारण यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2019 के अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है तो नही की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ